

01-04-25

वकील प्रार्थगिण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थगिण का मूल वाद नोट पुस्त के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इतना यह प्रार्थना पत्र अनिचितपदीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील लेकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर लुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Muj*  
(किरणपाल)  
R.A.S.  
अखण्ड अधिकारी  
घडसाना